बिल का सारांश

राजस्थान कारागार बिल, 2023

- राजस्थान कारागार बिल, 2023 को 15 मार्च, 2023 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल राजस्थान कैदी एक्ट, 1960 और राज्य में कारागार एक्ट, 1894 के एप्लिकेशन को निरस्त करता है। बिल जेलों की स्थापना और रेगुलेशन तथा कैदियों की निगरानी का प्रावधान करता है। बिल की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कैदियों के अधिकार**: राज्य में प्रत्येक कैदी के पास कुछ अधिकार होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मानव गरिमा का अधिकार (इसमें यातना, हिंसा से सुरक्षा शामिल है), (ii) मूलभूत न्यूनतम जरूरतों का अधिकार (पर्याप्त आहार, स्वच्छ पानी और चिकित्सा देखभाल), (iii) कम्यूनिकेशन का अधिकार, (iv) कानून और कानूनी उपायों तक पहुंच का अधिकार, और (v) देय तिथि पर रिहाई का अधिकार।

- **कैदियों को आवास**: बिल राज्य सरकार के लिए अनिवार्य करता है कि वह अपने क्षेत्र में कैदियों को वास सुविधा प्रदान करे। यह अस्थायी या विशेष जेलों की स्थापना की अनुमति देता है। महानिदेशक एक अस्थायी जेल की स्थापना कर सकते हैं जब: (i) किसी जेल में कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा हो कि वहां सुविधाओं या सुरक्षा से समझौता करना पड़े, या (ii) किसी जेल के भीतर महामारी का प्रकोप हो।

- बिल के तहत कैदियों को निम्नलिखित के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा: (i) जेंडर, (ii) सजा का दर्जा, और (iii) अपराध की प्रकृति। इसके अलावा उन कैदियों के लिए अलग एनेक्सी और वार्ड मौजूद होंगे जो: (i) हाई-रिस्क, (ii) ड्रग एडिक्ट, और (iii) संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं।

- **जेल अधिकारी**: सरकार राज्य की सभी जेलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति करेगी। हरेक जेल में निम्नलिखित होंगे: (i) एक अधीक्षक, (ii) मेडिकल अधिकारी और मेडिकल सबऑर्डिनेट, (iii) जेलर, (iv) कल्याण अधिकारी, और (v) कस्टोडियल, चिकित्सा, करेक्शनल, शैक्षिक और सहायक कर्मचारी। कारागार अधिकारियों का न तो कैदियों के साथ व्यापारिक लेन-देन होगा और न ही कारागार को ठेके देने में उनका कोई हित होगा। अधीक्षक अनुशासन, श्रम, दंड और व्यय से संबंधित सभी मामलों में जेल का प्रबंधन करेगा।

- **शिकायत निवारण**: बिल प्रत्येक जेल के लिए एक शिकायत निवारण समिति की नियुक्ति का प्रावधान करता है। समिति कैदियों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसकी अध्यक्षता जेल अधीक्षक करेंगे और इसमें तीन अन्य सदस्य होंगे। यदि कोई कैदी समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्णय के 30 दिन के भीतर कारागार उप महानिरीक्षक को अपील कर सकता है।

- **राज्य सलाहकार बोर्ड**: राज्य सरकार जेलों के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राज्य जेल सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति को अधिसूचित करेगी। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मानव संसाधन विकास, (ii) जेलों का आधुनिकीकरण, और (iii) रिहाई के बाद पुनर्वास के कार्यक्रम। बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे। अध्यक्ष जेल के प्रभारी मंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष गृह विभाग (कारागार) के प्रभारी सचिव होंगे।

- **जेल में अस्पताल**: बिल प्रत्येक जेल में बीमार कैदियों को रखने के लिए एक अस्पताल या उचित स्थान का प्रावधान करता है।

- **कैदियों की समय से पहले रिहाई**: महानिदेशक सरकार को सजायाफ्ता कैदी की समय से पहले रिहाई की सिफारिश कर सकता है। ये सिफारिशें कैदी के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं: (i) वृद्धावस्था या बीमारी के कारण स्थायी अक्षमता जो उसे आगे अपराध करने से रोकती है,

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

10 मई, 2023

(ii) एक घातक बीमारी जिसे जेल के बाहर ठीक किया जा सकता है, या (iii) एक दोषी की मृत्यु का खतरा, जिससे उसकी रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं।

- **अपराध और दंड**: बिल कैदियों के कृछ कृत्यों को जेल अपराध घोषित करता है और इसके लिए सजा का प्रावधान करता है। मामूली अपराधों में शामिल हैं: (i) भूख हड़ताल पर जाना, या (ii) काम करने से मना करना। ऐसे अपराधों की सजा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: (i) औपचारिक चेतावनी, और (ii) हिरासत में कैदियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का अधिकतम एक महीने तक नुकसान। बड़े अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) जेल की सुरक्षा को खतरे में डालना, (ii) जेल या कानूनी हिरासत से भागना या भागने का प्रयास करना, और (iii) हमला। बड़े अपराधों के लिए सजा में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) तीन महीने तक अलग कारावास, और (ii) बंदी को पैरोल पर छोड़े जाने की अगली पात्रता तिथि से प्रारंभ करते हुए एक वर्ष तक के लिए पैरोल के विशेषाधिकार को स्थगित करना।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।